

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

राँची, दिनांक- 31.01.2020

संख्या :- 7/प्रोन्नति-203/2016 का. 704 / झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री चन्द्रशेखर झा, उप सचिव (पी०बी०-III, पे० बैण्ड रु० 15600-39100/-, ग्रेड पे० रु० 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12), राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची को संयुक्त सचिव कोटि (पी०बी०-IV, पे० बैण्ड रु० 37400-67000/-, ग्रेड पे० - रु० 8700, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-13) में प्रोन्नति प्रदान करते हुए उनके द्वारा धारित पद को संयुक्त सचिव कोटि में उत्क्रमित कर अगले आदेश तक राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची में संयुक्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(सुधीर कुमार रंजन)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 7/प्रोन्नति-203/2016 का. 704 / राँची, दिनांक- 31.01.2020

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/राजस्व पर्षद/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची तथा संबंधित पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रोन्नत पदाधिकारी को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 के आलोक में पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत पद का वित्तीय लाभ देय होगा।

ह०/-
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :- 7/प्रोन्नति-203/2016 का. 704/ राँची, दिनांक- 31.01.2020

प्रतिलिपि :- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के संयुक्त सचिव।

